लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
013/2022 (GCMS 2022/20)	14.03.2022	12.04.2022

अनवान

गोपाल लाल मालीवाल निवासी मकान नंबर 109, सेक्टर नंबर 1, गांधी नगर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 09.02.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./013/2022(सू.अ.)(06.04.2022)/48 दिनांक 14.03.2022 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 06.04.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 06.04.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने दिनांक 12.04.2022 को स्वयं उपस्थित होकर जरिये प्रार्थना पत्र क्रमांक/सूचना/2022/66 अपना पक्ष रखा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा आदिनांक तक वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है अतः चाही गई समस्त सूचनाऐं/प्रमाणित प्रतिलिपियां निशुल्क दिलाने का आदेश प्रदान करावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/715 दिनांक 31.03.2022 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः-

1. यह कि प्रार्थी श्री गोपाल लाल मालीवाल निवासी मकान नंबर 109, सेक्टर नंबर 01, गांधीनगर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 09.02.2022 को प्रस्तुत किया, जो इस कार्यालय में दिनांक 11.02.2022 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना तहसील चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/158 दिनांक 16.02.2022 से प्रार्थी प्रार्थना पत्र मूल ही अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना के संबंध में अवगत कराया गया है। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
3. यह है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से ही प्राप्त की जानी हैं एवं इस संबंध में प्रार्थी को सूचना से अवगत करा दिये जाने से अब इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती हैं।
4. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/715 दिनांक 31.03.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन-मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 11.02.2022 से वांछित सूचना तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से अपीलार्थी का उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांकःएडीएम/पीए/लोसूअ/2022/158 दिनांक 16.02.2022 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को मूल ही अन्तरित किया गया है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ से संबंधित है तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) से वांछित सूचनाऐं प्राप्त कर आवेदक को उपलब्ध कराई जाने की जिम्मेदारी लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की बनती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से 15 दिवस में प्राप्त कर अपीलार्थी को निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>12.04.2022</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-SD-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)